उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–75/2011–12

दीपक राम उर्फ दीप नारायण राम

बनाम्

शिवशंकर राय

–: आदेश :–

दिनांक

10.05.?

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता दीपक राम उर्फ दीप नारायण राम पे0–स्व0 उदय शंकर राम वो जयंत कुमार राम पे0–स्व0 अर्जुन राम सा0–हीरा खुटहरी, अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–67/2007–08 आदेश दिनांक–27.11.2011 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–67/07–08 आदेश दिनांक–27.11.2011 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा–हीरा खुटहरी के जमाबंदी सं0–09 दाग नं0–22 रकवा 30' x 100' जमीन से अपीलकर्त्ता दीपक राम उर्फ दीप नारायण राम पे0–स्व0 उदय राम एवं उक्त दाग नं0–22 के अंदर रकवा 30' x 20' जमीन से अपीलकर्त्ता जयंत कु0 राम पे0– स्व0 अर्जुन राम को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–हीरा खुटहरी के अन्तर्गत दाग नं0–22 के अंदर रकवा 00–02–00 धुर जमीन दीपक राम उर्फ दीप नारायण राम, प्यारेलाल राम एवं अजीत राम पेसरान स्व0–उदय शंकर राम के दादा जानकी राउत को 80 वर्ष जमाबंदी से प्राप्त हुआ था और तबसे वे उस पर कच्चा मकान बनाकर रह रहे थे। बाद में 60 वर्ष पूर्व उन्होंने कच्चा मकान को तोड़कर पक्का मकान बनाया तथा उस पर सपरिवार रहने लगे। उनका आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत को दो पुत्र केदार राय एवं हर नारायण राय हुए। केदार राय के चार पोता एवं एक पुत्र जीवित है तथा हर नारायण राय को छः पुत्र है एवं सभी पुत्र जीवित है। लेकिन इनमें से सिर्फ शिवशंकर राय के द्वारा उच्छेदी वाद दायर

Scanned with CamScanner

किया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता जयंत कुमार राम के दादा को दाग नं0–22 के अंदर रकवा 00–04–00 धुर जमीन वर्ष 1935–36 ई0 में प्राप्त हुआ था। उसी समय से वे उसपर पक्का मकान बनाकर निवास करने लगे। उनका आगे कथन है कि हीरा खुटहरी मौजा में उत्तरवादी शिवशंकर राय ने अनेकों लोगों को जमीन बेचा है एवं वे लोग उस पर मकान बनाकर निवास कर रहें हैं। लेकिन उत्तरवादी ने सिर्फ अपीलकर्त्ता से रूपैया वसूली के लिए उच्छेदी वाद दायर किया है। उनका आगे कथन है कि यह स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता दीपक राम उर्फ दीप नारायण राम एवं अपीलकर्त्ता जयंत कुमार राम का मकान बना हुआ है एवं वे दोनों उपपर मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहें हैं। माननीय उच्च न्यायालय, राँची झारखण्ड एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा इस तरह के कई मामलें में निर्णय दिये गये है कि यदि जमाबंदी की जमीन पर आवासीय मकान बना हुआ है तो उस कब्जाधारी व्यक्ति को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद नहीं किया जा सकता है। इसमें से नवगोपाल भद्र मौजा–देवडॉंड़ थाना–पोड़ैयाहाट जिला–गोड्डा का भी मामला है जो बी0एल0जे0 2000 (3) पेज सं0–738 में अंकित है, के अनुसार भी मकान की जमीन से उच्छेद नहीं किया जा सकता है। बल्कि इस तरह के जमीन पर का मुआवजा दिया जा सकता है। इस प्रकार निम्न न्यायालय ने उपरोक्त सारी तथ्यों का अनदेखी करते हुए नियम के विपरीत आदेश पारित किया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–हीरा खुटहरी जमाबंदी सं0–9 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मोहर राय के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत मोहर राय को दो पुत्र केदार राय एवं हरि नारायण राय हुए। उत्तरवादी शिवशंकर राय हरि नारायण राय के पुत्र है। उनका आगे कथन है कि उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–22 के रकवा 30’ x 100’ भूमि अपीलकर्त्ता दीपक राम उर्फ दीप नारायण राम एवं उक्त दाग नं0–22 के रकवा 30’ x 20’ जमीन अपीलकर्त्ता जयंत कुमार राम के द्वारा अवैध ढंग से कब्जा कर लिये जाने के कारण उत्तरवादी ने निम्न न्यायालय में उन दोनों को उच्छेद करने के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत आवेदन दाखिल किया था। निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है

Scanned with CamScanner

और 1935–36 ई0 में जमीन प्राप्त करने का दावा किया गया। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रतिकुल प्रभाव से दखल होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद किया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का आदेश नियमानुकूल है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक–525/रा0 दिनांक–12.11.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि मामला जमाबंदी जमीन का अवैध रूप से दान स्वरूप प्राप्त करने से संबंधित है जो संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 का उल्लंघन है। परन्तु अपीलकर्त्ता द्वारा उस जमीन पर सपरिवार निवास कर रहें हैं।

उभय पक्ष के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय के द्वारा मौजा–हीरा खुटहरी नं0–146 जमाबंदी सं0–9 दाग नं0–22 के रकवा 30' x 100' से अपीलकर्त्ता दीपक राम उर्फ दीप नारायण राम एवं उक्त दाग नं0 के रकवा 30' x 20' की जमीन से अपीलकर्त्ता जयंत कुमार राम को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया गया है। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त जमीन पर मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहें हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर आवासीय मकान है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–67/2007–08 के आदेश दिनांक–27.12.2011 को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

10.02.21

उपायुक्त,
गोड्डा।

10.02.21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Misc Pett. No-28-2019-20

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 14:09:48 +05:30
Location: 192.168.29.32

Scanned with CamScanner